15/2/17

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 13-02-2017 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) आपदा :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चौसा प्रखण्ड के लाभुकों के बैंक खाता में नियमानुसार राशि हस्तांतरित कर दी गयी है। जबकि आलमनगर अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सी0बी0आई0 आलमनगर में लंबित है। बैठक में उपस्थित प्रभारी अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए।

(4) कृषि इनपुट अनुदान :-

बताया गया कि कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों के खाते में चला गया है। निदेश दिया गया कि खाता को अपडेट करें तथा विवरणी का प्रिंट आउट निकालकर आज शाम 04:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में संबंधित लाभुकों के खाता में राशि हस्तांतरित हुई या नहीं।

(5) स्वच्छ भारत मिशन :-

जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा बताया गया कि 5141 शौचालय का निर्माण हो गया है। जबकि 298 वार्ड में से 18 वार्ड ओ0डी0एफ0 हो गया है। निदेश दिया गया कि यदि किसी पंचायत के मुखिया द्वारा उक्त कार्य में शिथिलता बरती जाती है, तो अन्य किसी दूसरे पंचायत के मुखिया को उक्त कार्य नियमानुसार आवंटित किया जा सकता है। यह भी निदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम को प्राथमिकता देते हुए राजस्व ग्राम के सभी वार्ड ओ0डी0एफ0 हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित किया जाए।

(6) इंदिरा आवास :-

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आलमनगर में 35 प्रतिशत, बिहारीगंज में 33 प्रतिशत, चौसा-43 प्रतिशत, गम्हरिया-56 प्रतिशत, घैलाढ़-59 प्रतिशत का प्रगति है। जबकि बिहारीगंज, कुमारखण्ड एवं मुरलीगंज का प्रगति कम है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इंदिरा आवास निर्माण अविलम्ब पूर्ण करावें। साथ ही मनरेगा के अन्तर्गत निर्माणाधीन शौचालय के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि इंदिरा आवास निर्माण में नॉट स्टाटेड में मधेपुरा-40, कुमारखण्ड-75, उदाकिशुनगंज-90 आदि है तथा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी नहीं किया गया है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए एवं अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

यह भी बताया गया कि विगत बैठक से आज तक गम्हरिया में 04, शंकरपुर में 28 इंदिरा आवास निर्माण में उपलब्धि हुई है। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 4004 इंदिरा आवास में से 773 पूर्ण हुआ है, जबकि 692 प्लींथ लेवल एवं लिंटल लेवल पर -926 है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जो इंदिरा आवास सहायक है, उसे निदेशित करें कि जितने भी लिंटल लेवल तक है, उसे 15 दिन के अंदर पूर्ण करावें।

(7) कन्या विवाह योजना :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा से कन्या विवाह योजना के आवंटन हेतु अधियाचना के संबंध में पृच्छा की गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 10 करोड़ का अधियाचना विभाग को भेजा गया है, जिसमें मात्र 40 लाख एवं 30 लाख रू0 आवंटन ही प्राप्त हुई हैं, जिसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजें, ताकि और अधिक राशि की मांग की जा सके।

(8) कोशी पुनर्वास :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोशी पुनर्वास की समीक्षा बैठक कई महीनों से नहीं की गयी है, जिसके कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, अतएव उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इसकी अलग से बैठक आयोजित कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(9) शिक्षा :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि छात्रवृति, साईकिल राशि आदि का वितरण हो गया है अथवा नहीं तो इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि साईकिल वितरण हेतु राशि विभाग से प्राप्त हुआ हैं, जिसके आलोक में सभी विद्यालयों को राशि आवंटित कर दी गयी है। बताया गया कि राशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे सभी संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति के खाता में जायेगा। निदेश दिया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व शत-प्रतिशत नियमानुसार वितरण करावें, साथ ही आज संध्या 04:00 बजे तक संबंधित बैंक खाता का विवरणी उपलब्ध करावें कि संबंधित प्रधानाध्यापक के खाता में राशि हस्तांतरित कर दी गयी है अथवा नहीं।

सर्वशिक्षा अभियान :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत कई माह से सर्वशिक्षा अभियान की समीक्षा नहीं की जा सकी है, जिसके कारण ए0सी0आर0 की स्थिति काफी असंतोषजनक है। निदेश दिया गया कि किस प्रखण्ड में कितने ए0सी0आर0 लंबित है, से संबंधित संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर आज शाम 04:00 बजे तक समर्पित करें।

किचेन का निर्माण :- जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि किचेन शेड की क्या स्थिति है, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रतिवेदन आज ही समर्पित करें।

उच्च विद्यालय उत्क्रमण :- जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आर0एम0एस0ए0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उच्च विद्यालय को उत्क्रमित करने संबंधी संचिका दो दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करें।

शिक्षकों का वेतन भुगतान :- जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन प्रत्येक माह ससमय किया जाए, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें।

(10) **अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण** :-

चौसा :- बताया गया कि चौसा में सरकारी विद्यालय निजी जमीन पर बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश पारित किया गया है, जिसके आलोक में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है।

ग्वालपाड़ा :- बताया गया कि 03 मामला अतिक्रमण से संबंधित है। निदेश दिया गया कि पूर्ण प्रक्रिया यथा– नोटिस निर्गत करना, तामिला कराना, सुनवाई करना, आम सूचना निर्गत करना, आदेश पारित करना, अभिलेख में संधारित करना आदि का पालन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् प्राथमिकी भी दर्ज करावें।

मत्स्य :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 74 सरकारी तालाब है, जिसकी नापी करायी गयी थी। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अतिक्रमण हटावें एवं अनुपालन से आगामी सोमवारीय बैठक में अवगत करावें।

पुरैनी :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि गलत ढ़ंग से रसीद काटने का मामला लंबित है। गलत ढ़ंग से पर्चा दाखिल किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित राजस्व कर्मचारी के निलंबन का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ तुरंत भेजा जाए।

(11) **कोषागार** :-

कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सेवानिवृत अभियंताओं की सूची जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को उपलब्ध करायी जाए। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई अविलम्ब की जाए।

(12) **अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण, उदाकिशुनगंज** :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुमारखण्ड प्रखण्ड में इंदिरा आवास सूची में क्रम तोडकर तथा एक ही व्यक्ति को दो बार इंदिरा आवास का लाभ एवं इस बार प्रधानमंत्री से आवास योजना हेतु नामित किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में आदेश पारित करें तथा संबंधित कर्मी से राशि वसूली की जाए एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाए। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मूल अभिलेख से मिलान करें एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।